कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गौरव ग्लास इण्डस्ट्रीज, ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**41 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री गौरव अग्रवाल, फर्म स्वामी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-41 / 11, दिनांक 02.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **प्लेईंग ग्लास बॉल्स (बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां) पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?**

2. फर्म की ओर से श्री गौरव अग्रवाल, फर्म स्वामी उपस्थित हुए तथा उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निर्माण की जा रहीं प्लेईंग ग्लास बॉल्स (बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां) स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत आती हैं। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत आने के कारण कर मुक्त होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, की प्रविष्टि संख्या-51 निम्नवत है :-

51	Wooden toys; Lac & Shellac including paseva,mulamma,button lac and kiri ;**Sports goods excluding apparels and Sports footwear** ; Stop clock (*vide Noti.no.-KA.NI-2-1021/XI-9(1)/08....dated 09-04-08 effective from 09-04-08)*

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन द्वारा अपने पत्रांक-438, दिनांक 30.05.11, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, मैनपुरी सम्भाग, मुख्यालय-फिरोजाबाद के पत्र संख्या-236, दिनांक 25.05.11 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 23.05.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसके अनुसार कॉच की गोलियॉ न केवल खेलने के काम आती है अपितु इनका उपयोग सेाडा पेय पदार्थ की बॉटल में किया जाता है, इमारतों में मार्बल के साथ लगाया जाता है तथा टेन्ट व्यवसाय के द्वारा भी कॉच की गोलियों का उपयोग सजावट के काम में लिया जाता है। अत: यह स्पोर्ट्स गुड्स नहीं है।

5. व्यापारी द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु भेजी गयी नोटिस पर श्री गौरव अग्रवाल, फर्म स्वामी उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निर्मित कॉच की गोलियों का उपयोग केवल बच्चों के द्वारा खेलने के प्रयोग में लाया जाता है तथा उनके द्वारा निर्मित कॉच की गोलियों का उपयोग सोडा की बोतल में नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE, KHURJA के द्वारा उनके द्वारा निर्मित कॉच की गोली का कैमिकल एनालिसेस प्रस्तुत किया गया तथा ग्लास टेक्निशयन का प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उक्त गोली का

.....2

प्रयोग सोडा बाटल में नहीं किया जा सकता है । यही नहीं उन्होंने Directorate of Industries U.P. Kanpur का एक प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनको केवल प्लेईंग ग्लास बॉल्स बनाने की अनुमति प्राप्त है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा खेलने वाली गोलियॉ बच्चों के लिए खेलने का सबसे सस्ता साधन बताया गया है । व्यापारी द्वारा वर्ष 2005-2006, 2006-2007 व 2007-2008 की कर निर्धारण आदेशों की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की गयीं जिसमें भी प्लेईंग ग्लास बॉल्स पर स्पोर्ट्स गुड्स की भॉति कर निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा श्री चन्द्रबली, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (अपील)-पंचम, व्यापार कर, मैनपुरी व वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद का आदेश दिनांक 04.09.2002 व श्री कामता प्रसाद, तत्कालीन व्यापार कर अधिकारी, खण्ड-1 फिरोजाबाद व वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद का आदेश दिनांक 31.03.98 को इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि विभागीय अधिकारी भी कॉच की गोली को खेल-कूद का सामान मानते हैं । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा GAMES OF THE WORLD व कालिन्स डिक्शनरी के पृष्ठ इस आशय से प्रस्तुत किये गये कि कॉच की गोलियॉ बच्चों द्वारा खेलने के काम में लायी जाती हैं ।

6. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली, प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि कॉच की खेलने वाली गोली (कंचा) का उपयोग मुख्यत: बच्चों द्वारा खेलने के काम में प्रयोग किया जाता है अत: यह एक प्रकार का खेल-कूद का सामान है । अत: **प्लेईंग ग्लास बॉल्स (बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां)** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स गुड्स की भॉति करदेयता निर्धारित की जाती है ।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 6 अगस्त, 2011

ह0 / 06.08.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।